भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की **395**वीं बैठक का कार्यवृत्त
स्थान - बोर्ड रूम, चौथा तल, एएसआई भवन
तिथि व समय- 23 जून, 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे और 26 जून, 2023 अपराह्न 03.00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया;

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण एवं महा निदेशक, एएसआई
2. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. प्रो. एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

एनओसी आवेदनों पर विचार

दिनांक- 26.06.2023

ऑनलाइन नया मामला संख्या 01

(श्री दीपक राय, 1/6, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 1/6 सर्वप्रिया विहार, नई दिल्ली में कुल 18.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 146.26 वर्गमीटर तलक्षेत्र और बेसमेंट का क्षेत्रफल = 146.26 वर्गमीटर तथा गहराई = 4.20 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों की सूची के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। भवन निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>ऑनलाइन नया मामला संख्या 02</u>

(श्री निशांत कुमार, कार्यपालक अभियंता, ई-डिवीजन, सीपीडब्ल्यूडी, गेट नंबर 01, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001)

मामले का अवलोकन करने और फॉर्म-II के माध्यम से प्राधिकरण ने यह पाया कि सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली की 24 जून 2023 की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि "राजपत्र अधिसूचना संख्या 3201-शिक्षा दिनांक 11 जून 1924 में राजस्व अनुसूची स्पष्ट नहीं है और भुवन पोर्टल के अनुसार प्रस्तावित निर्माण स्थल केंद्रीय संरक्षित स्मारक (शिकारगाह कुशक) से 100.00 मीटर से अधिक दूर है।" यहां तक कि आवेदक-सीपीडब्ल्यूडी (भारत सरकार का एक संगठन) द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत गूगल मैप में भी सीपीएम से दूरी 110.00 मीटर बताई गई है। तदनुसार, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि यह विशेष आवेदन 2010 में यथासंशोधित एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20सी (2) के दायरे में आता है। इसलिए प्राधिकरण आवेदक के दस्तावेजों के अनुसार प्रधानमंत्री संग्रहालय, तीन मूर्ति, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली में 15.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल के साथ अधिकतम 6.90 मीटर (कुल मिलाकर) की ऊंचाई वाले प्रवेश द्वार (भू तल) के निर्माण की **सिफारिश** करता है। सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार एनओसी देने की सिफारिश की जाती है। निर्माण कार्य करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।